फर्द अहकाम

...लय

राम किशन ________ बनाम सावित्री ________

...ा संख्या /वर्ष 23/2024 : ________ /20 ________

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी प्रतिवादी सं० 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते तनकी हेतु दिनांक 27/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
27/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। तनकी कायम करने हेतु पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादी ने वाद नक्शा में इन्द्राज दुरुस्ती का पेश किया जो धारा 136 LR Act के तहत की जा सकती है। अतः वादी का वाद का धारा 136 LR Act में कनवर्ट किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को पत्र जारी कर जवाब मंगावे। पत्रावली दिनांक 12/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। TDR सांगानेर से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। ... [illegible] ... किया जाता है ... से लिखवाया ... गया पत्रावली ... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:41:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 29/2024
निर्णय दिनांक : 12.07.2024

रामनिवास पुत्र रामेश्वर
रामप्रसाद पुत्र रामेश्वर
विकास पुत्र मदनलाल
सावित्री देवी पत्नि मदनलाल
समस्त जाति ब्राह्मण नि. ग्राम गंवार ब्राह्मणान पं हल्का खेडी गोकुलपुरा तहसील सॉगानेर,
जिला–जयपुर

..वादीगण

बनाम

सावित्री देवी पत्नि रामेश्वर जाति यादव नि. ग्राम जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार, सौगानेर जिला–जयपुर।
श्यामलाल खानचन्दानी पुत्र दयाराम खानचन्दानी जाति सिन्धी निवासी ग्राम ग्वार वाहमणान।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषित किये जाने पुख्ता सीमा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से पेश संशोधित वाद का विवरण इस प्रकार है कितहसील सॉगानेर के ग्राम गंवार ब्राह्मणान प. हल्का खेड़ी गोकुलपुरा गिरदावर हल्का शिकारपुरा में वादीगण व की कृषि भूमि स्थित है जिसके वर्तमान ख. नं. प्रतिवादी नं. 1 716/1, 718, 720/2, 723, 719, 720/3, 724, 724, 725/1, 720, 720/1, 716, 725 व अन्य है इस वाद में उक्त खसरों की सीमाओं व राजस्व नक्शे के बावत ही विवाद है। उक्त सभी खसरों के साबिक ख.नं. 315 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा थे जो सम्वत् 2015 से सम्वत् 2034 की खतौनी बन्दोबस्त में वादीगण के पूर्वज गोपी वल्द जगन्नाथ, रामनारायण पि. मु. श्योनारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था जिसका साबिक नक्शा अर्थात् ख. नं. 315 का राजस्व नक्शा पूर्णतया सही था तथा पक्षकारान् आज भी मौके पर साबिक नक्शे अनुसार काबिज एवं उपभोग उपयोग में चले आ रहे हैं। गत भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 315 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा (1.64 हैक्टेयर) के नये खसरा नम्बर 716 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 719 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 723 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 724 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 725 रकबा 0.21 हैक्टेयर, कुल किता 8 कुल रकबा 1.58 हैक्टेयर कायम किये गये तथा इनका नया राजस्व नक्शा बनाया गया। सेटेलमेन्ट के दौरान साबिक नक्शे से जब नया वर्तमान राजस्व नक्शा बनाया गया तो उस नये नक्शे में त्रुटि कर उसे छोटा कर दिया गया नये नक्शे में ख. नं. 720 [illegible] को नीचे कर दिया गया, इसी प्रकार ख.नं. 719 एवं 723 की भी ऊपरी सी[illegible]र के स्थान पर नीचे कर दिया गया जिससे वर्तमान नक्शा छोटा हो [illegible]ज भी साबिक नक्शे अनुसार काबिज एवं उपयोग उपभोग में है [illegible] कायम है वादीगण के उत्तर में ख.नं. 721 स्थित है जिसके स्वामी ने अपनी भूमि में पुख्ता निर्माण कर रखा है। उक्त भूमि के खातेदार रामनिवास पुत्र रामेश्वर एवं मदन पुत्र रामेश्वर ने ख.नं. 720 रकबा 0.49 है में स्थित अपने–अपने 1/3 हिस्से में से रामनिवास ने अपना हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण तथा मदन ने हिस्सा 1/3 में से हिस्सा 1/2 का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02/06/2004 द्वारा प्रतिवादी नं. 1 को कर कब्जा सम्भला दिया जो कब्जा उसे ख.नं. 721

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:41:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

सीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
र्ना पत्र संख्या : 29 / 2024
र्य दिनांक : 12.07.2024

मनिवास पुत्र रामेश्वर
मप्रसाद पुत्र रामेश्वर
कास पुत्र मदनलाल
ावित्री देवी पत्नि मदनलाल
मस्त जाति ब्राह्मण नि. ग्राम गंवार ब्राह्मणान पं हल्का खेडी गोकुलपुरा तहसील सॉगानेर, जेला–जयपुर

..वादीगण

बनाम

ावित्री देवी पत्नि रामेश्वर जाति यादव नि. ग्राम जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जस्थान।
ाजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार, सौगानेर जिला–जयपुर।
ामलाल खानचन्दानी पुत्र दयाराम खानचन्दानी जाति सिन्धी निवासी ग्राम ग्वार बाहमणान।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषित किये जाने पुख्ता सीमा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से पेश संशोधित वाद का विवरण इस प्रकार है कितहसील ॉगानेर के ग्राम गंवार ब्राह्मणान प. हल्का खेड़ी गोकुलपुरा गिरदावर हल्का शिकारपुरा में ादीगण व की कृषि भूमि स्थित है जिसके वर्तमान ख. नं. प्रतिवादी नं. 1 716 / 1, 718, '20 / 2, 723, 719, 720 / 3, 724, 724, 725 / 1, 720, 720 / 1, 716, 725 व अन्य है इस ाद में उक्त खसरों की सीमाओं व राजस्व नक्शे के बाबत ही विवाद है। उक्त सभी खसरों के साबिक ख.नं. 315 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा थे जो सम्वत् 2015 से सम्वत् 2034 की खतौनी बन्दोबस्त में वादीगण के पूर्वज गोपी वल्द जगन्नाथ, रामनारायण पि. मु. श्योनारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था जिसका साबिक नक्शा अर्थात् ख. नं. 315 का राजस्व नक्शा पूर्णतया सही था तथा पक्षकारान् आज भी मौके पर साबिक नक्शे अनुसार काबिज एवं उपभोग उपयोग में चले आ रहे हैं। गत भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 315 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा (1.64 हैक्टेयर) के नये खसरा नम्बर 716 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 719 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 723 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 724 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 725 रकबा 0.21 हैक्टेयर, कुल किता 8 कुल रकबा 1.58 हैक्टेयर कायम किये गये तथा इनका नया राजस्व नक्शा बनाया गया। सेटेलमेन्ट के दौरान साबिक नक्शे से जब नया वर्तमान राजस्व नक्शा बनाया गया जो उस नये नक्शे में त्रुटि कर उसे छोटा कर दिया गया नये नक्शे में ख. नं. 720 की ऊपरी सीमा को नीचे कर दिया गया, इसी प्रकार ख.नं. 719 एवं 723 की भी ऊपरी सीमा को ऊपर के स्थान पर नीचे कर दिया गया जिससे वर्तमान नक्शा छोटा हो गया जबकि मौके पर पक्षकारान आज भी साबिक नक्शे अनुसार काबिज एवं उपयोग उपभोग में है मौके पर पुख्ता सीमा कायम है वादीगण के उत्तर में ख.नं. 721 स्थित है जिसके स्वामी ने अपनी भूमि में पुख्ता निर्माण कर रखा है। उक्त भूमि के खातेदार रामनिवास पुत्र रामेश्वर एवं मदन पुत्र रामेश्वर ने ख.नं. 720 रकबा 0. 49 है में स्थित अपने–अपने 1 / 3 हिस्से में से रामनिवास ने अपना हिस्सा 1 / 3 सम्पूर्ण तथा मदन ने हिस्सा 1 / 3 में से हिस्सा 1 / 2 का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02 / 06 / 2004 द्वारा प्रतिवादी नं. 1 को कर कब्जा सम्भला दिया जो कब्जा उसे ख.नं. 721

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:41:14 IST
Reason: SelfAttested

में हो रखे पुख्ता निर्माण के लगवा नाप कर करवा दिया गया तब से प्रतिवादी नं. 1 अपने हिस्से पर काबिज एवं उपयोग उपभोग में है। तत्पश्चात् सभी खातेदारों ने आपसी सहमति से विधिवत तकासमा करवा लिया जिसका नामान्तरकरण नं. 505 दिनांक 03/09/2015 को स्वीकृत होकर सभी के अलग खाते व लगान कायम कर दिया गया। अभी गत दिनों दिनांक 03/06/2023 को प्रतिवादी नं. 1 ने अपने हिस्से की सीमाज्ञान करवाया तो उसका कब्जा उसके पूरे 0.24 हैक्टेयर पाया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी नं. 1 ने अपनी पुख्ता बाउण्ड्री बना ली तथा गेट लगा लिये लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही राजस्व नक्शे की त्रुटि का फायदा लेने की दृष्टि से उसने तकासमे के नक्शे अनुसार कब्जा करने का प्रयास किया तो वादीगण ने मना किया लेकन प्रतिवादी नं. 1 नहीं माने उन्होंने माननीय न्यायालय के यहां पत्थर गढी का आवेदन प्रस्तुत कर दिया जिसका नोटिस दिनांक 15/12/2023 का वादीगण को प्राप्त हुआ इस पर वादीगण अपने अधिवक्ता के पास पहुँचे तथा उन्हें बताया कि प्रतिवादी नं. 1 पूरी 0.24 हैक्टेयर पर काबिज है पुख्ता निर्माण है, फिर वह क्या चाह रही है इस पर अधिवक्ता महोदय ने सारा रिकॉर्ड देखा तथा रकबा बरारी करवाई तो उक्त तथ्य सामने आया कि मौके पर तो वादीगण प्रतिवादी नं. 1 साबिक नक्शे अनुसार अपने अपने पूरे रकबे पर काबिज है लेकिन वर्तमान नक्शे के अनुसार अगर प्रतिवादी नं. 1 नाप करवाती है तो वह वादीगण के पुख्ता कब्जे व हिस्से में घुसती है इस जानकारी पर वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 से बात की तो उसने बात करने एवं रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने में अपना सहयोग करने से दिनांक 26/12/2023 को स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा स्पष्ट तौर पर धमकी दी कि वो शीघ्र ही दादागीरी से मौके पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए कब्जा कर लेगी, वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करेगी तथा वादग्रस्त आराजी को किसी भी अन्य को रहन, दान, बेचान व अन्य को हस्तान्तरण कर देगी। कानूनन भूप्रबन्ध विभाग को पुरानी एन्ट्रीयों को ही रिपीट करने का अधिकार होता है, बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के, बिना कोई नोटिस जारी किये, बिना कोई सुनवाई किये भूप्रबन्ध विभाग को नक्शे को छोटा बडा करने या मौके के विपरीत करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग की उक्त कार्यवाही पूर्णतया उनके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गई है जो कि प्रारम्भ से ही शून्य व अप्रभावी है जिनका कोई विधिक महत्व नहीं है तथा ऐसी गलतियां सदैव ही दुरूस्त होने योग्य होती है। चूंकि वर्तमान राजस्व नक्शे में त्रुटि है तथा पक्षकारान मौके पर साबिक नक्शे अनुसार पुख्ता रूप से काबिज एवं उपयोग उपभोग में है ऐसे में प्रतिवादी की धमकी एवं कार्यप्रणाली को देखते हुए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह मौके पर वर्तमान मौजूद सीमाओं को अपनी पुख्ता सीमा कायम करवाकर उन्हें पुख्ता सीमा घोषित करवाये तथा वर्तमान राजस्व नक्शे को दुरूस्त करवाकर उसे साबिक नक्शे अनुरूप संशोधित करवाले तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा दे कि वो वादीगण के वादग्रस्त आराजी के साबिक नक्शे अनुरूप उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादी को मौके से जबरन बेदखल नहीं करे, कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे, किसी भी अन्य को रहन, दान, बेचान व अन्य हस्तान्तरण नहीं करे। दावे के वाद हेतुक दिनांक 26/12/2023 को जब प्रतिवादी नं. 1 रिकार्ड दुरूस्ती से इन्कार कर वादीगण को मौके से बेदखल करने एवं वादग्रस्त भूमि किसी अन्य को बेचान करने की धमकी दी तब उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अनुतोष निम्न प्रकार है–

(क) दावा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का डिक्री किया जाकर वादीगण की मौके पर उपलब्ध वर्तमान सीमाओं को पुख्ता सीमा कायम करते हुये पुख्ता सीमा घोषित की जावे तथा वादीगण के वर्तमान राजस्व नक्शे को साबिक नक्शे के अनुरूप दुरस्त किया जाकर वादीगण के वर्तमान राजस्व नक्शे को संशोधित किया जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के वादग्रस्त आराजी के साबिक नक्शे अनुरूप उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादग्रस्त आराजी पर कच्चा पक्का निर्माण वादीगण को मौके से जबरन बेदखल नहीं करे, वादग्रस्त आराजी को किसी भी अन्य को रहन, दान, बेचान व अन्य हस्तान्तरण नहीं करे। अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:41:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के कथनो से इन्कार किया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामिल के भी हाजिर नही आने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल लाई गयी। पक्षकारों द्वारा पक्षकारों द्वारा पत्रावली में मुख्य अनुतोष नक्शा दुरूस्ती का होना अंकित किया। पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली में साबिक व वर्तमान नक्शे के अन्तर के आधार पर प्रकरण दुरूस्ती का है। ऐसे में दिनांक 27.06.2024 को आदेश कर दावे का धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र में परिवर्तित किया गया। तथा जवाब सरकार को तहरीर जारी की गयी।

जवाब सरकार आने पर पक्षकारों की बहस अंतिम सुनी गई। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया, जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। वादी/प्रार्थी का कथन रहा कि वादी के साबिक खसरा नम्बर 315 का रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा अर्थात् 1.64 हैक्टेयर थी जिसके नये खसरा नम्बर 716 से 720, 723 से 725 कुल किता 8 कुल रकबा 1.58 हैक्टेयर बनाये गये तथा इसी के रकबे व नक्शे को 6 एयर छोटो कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 721 का रकबा बढा दिया। जवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो जवाब सरकार में वादी के कथनो को स्वीकार करते हुये वादी के साबिक व वर्तमान नक्शे मे अन्तर होना स्वीकार किया है। इस आधार पर वादी का वाद/प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी का वाद/प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी का नक्शा 1.58 हैक्टेयर के स्थान पर पूर्व की भांति 1.64 हैक्टेयर किया जाता है। खसरा नम्बर 720 की सीमा साबिक खसरा नम्बर 316 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 721/2 तक संशोधित की जाती है। अर्थात् वादी का वर्तमान नक्शा साबिक नक्शे एवं जवाब सरकार अनुसार दुरूस्त किया जाता है, उक्त दुरूस्ती हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:41:14 IST
Reason: SelfAttested